122

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र०प्र० /2003 पुनरीक्षण - 1064-II/2003

जगन्नाथ पुत्र सुल्ले ब्राह्मण
निवासी ग्राम कुडोर तहसील बल्देवगढ
जिला टीकमगढ ------ आवेदक

विरुद्ध

1-महेश } पुत्रगण स्वामी प्रसाद
2-सुरेश } ब्राह्मण निवासीगण
3-छोटे भइया } ग्राम मल्लपुरा तहसील
नौगांव जिला छतरपुर हाल मुकाम देरी
तहसील बल्देवगढ जिला टीकमगढ

------ अनावेदकगण

अपर आयुक्त सागर संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 872/96-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 3-5-2003 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है :-

(1) यह कि अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश अवैध, अनियमित तथा अनुचित होकर निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि पूर्व भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पिता को एक अनुबन्ध के अन्तर्गत संवत 2003 में कृषि कार्य हेतु पट्टे पर प्रदान की गयी थी। उस समय से निरन्तर आवेदक के पूर्वज तथा उनके पश्चात आवेदक का कब्जा चला आ रहा है। आवेदक को विवादित भूमि पर भूमिस्वामी के स्वत्व उद्भूत हो गये हैं।

---2

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1064–दो/2003 जिला –टीकमगढ़

स तिथि तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.12.16	आवेदक ने यह निगरानी आवेदन अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 872/1996–97/अ–6 अपील में पारित आदेश दिनांक 3.5.03 के विरूद्व प्रस्तुत किया है जसके द्वारा अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखते हुये आवेदक की द्वितीय अपील को निरस्त किया है। 2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तथ्य बताते हुये आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि इस प्रकरण से संबंधित भूमि मूल भूमि स्वामी पुत्तु तनय राजाराम थे पुत्तु ने ग्राम चकमाधौ सिंह की अपनी भूमि सर्वे कमांक 853 आवेदक के पिता खुल्ले की मृत्यु के बाद आवेदक जगन्नाथ निरन्तर खेती कर रहा है। आवेदक को भूमिस्वामी के अधिकार विधि के प्रभाव से मिल गये थे इसलिये आवेदक ने अपना नामांतरण कराने के लिये आवेदन दिया परंतु इस बीच पुत्तु की मृत्यु हो जाने के कारण लल्ला बाई ने उत्तराधिकारी के रूप में अपना नामांतरण करा लिया । जिसके विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी ने इस निर्देश के साथ प्रकरण तहसील को वापस किया कि सभी हितबद्व पक्षकारें को सुनकर प्रकरण का निराकरण किया जाये।	

3- प्रकरण वापस प्राप्त होने पर आवेदक ने दिनांक 12.2.19'46 को दिये गये पटटे की प्रति लगान की रसीदें तथा भूमि स्वामी पुत्तु के सहमति पत्र की प्रति लेखी साक्ष्य में प्रस्तुत की एवं अपने समर्थन में साक्षीगण देशराज, रामसिंह एवं रामसहाय के कथन कराये अनावेदकगण ने अपनी साक्ष्य में दसईया, फुला, सुक्कु एवं बिण्डल को साक्षीगण के रूप में प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों की साक्ष्य एवं प्रस्तुत तर्को के बाद नायब तहसीलदार ने आवेदक की प्रार्थना अस्वीकार करते हुये अनावेदकगण का नामांतरण करने के आदेश दिये जिसके विरूद्व आवेदक की प्रथम एवं द्वितीय अपीले निरस्त की गयी है । अतः यह निगरानी का आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

4- आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी को सुना गया एवं अनावेदक 1 की ओर से उनके अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह के तर्क सुने गये।

5-आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्को में सर्वप्रथम तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदक की ओर से प्रस्तुत की गयी लेखी एवं मौखिक साक्ष्य की मनमानी विवेचना करते हुये विवादित आदेश पारित किये गये हैं अपने इस तर्क के समर्थन में आवेदक के अधिवक्ता ने उपलब्ध अभिलेख में से नायब तहसीलदार के आदेश के उस अंश की ओर ध्यान आकर्षित किया जिसमें आवेदक की लेख साक्ष्य का उल्लेख किया गया है आवेदक ने जो लेखी साक्ष्य प्रस्तुत की थी उसमें दिनांक 12.2. 1976 एवं संबंत 2006 की लगान की रसीद का उल्लेख करते हुये नायब तहसीलदार ने लिखा है कि संबंध 2006 की रसीद

पुत्तू द्वारा लगान के रूपये प्राप्त करने की है इसी प्रकार संबंत 2008 की रसीद भी लगान के रूपये पाने की है। श्र रसीदें जो प्रस्तुत की गयी है वह लगान जमाकरने की हैं इसके आग्रे गवाह देशराज तथा रामसहाय के कथनों का उल्लेख किया गया है जिसमें भूमि पर आवेदक का कब्जा होना साक्षियों नेबताया है आगे नायब तहसीलदार ने अनावेदको के गवाहो के कथनों का वर्णन किया है आगे उन्होंने अपाने तर्क में कहा कि नायब तहसीलदार ने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसमें अनावेदकों को पुत्तु का उत्तराधिकारी होना मान्य करते हुये उनके नामांतरण का आदेश दिया। नायब तहसीलदार ने भूमि पर आधिपतय होने का निष्कर्ष भी निगराला है। परंतु जो साक्ष्य आवेदक ने प्रस्तुत की थी उसके परिणाम स्वरूप आवेदक को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त होते हे अथवा नहीं इस पर वस्तुतः कोई निर्णय नहीं दिया केवल यह लिखा हे कि पुत्तु ने आवेदक के पिता को भूमि विकय की थी या पटटे पर दी इसका कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

6— आवेदक के अधिवक्ता ने आगे अपने तर्को में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया उनका कहना हे कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया एवं अपील में उठाये गये आधारों पर कोइ निर्णय नहीं दिया जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न हे उनका तक है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने प्रथम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों को निर्वहन नहीं किया एवं अपील में उठाये गये

आधारों पर कोई निर्णय नहीं दिया जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न उनकातर्क हे कि आवेद ने जो साक्ष्य प्रस्तुत की थी उनसे प्रमाणित होता है कि भूमि पर आवेदक के पिता एवं बाद में आवेदक का निरन्तर कब्जा रहा हे अनुबंध के अनुसार लगाान भी पुत्तु को दिया जाता रहा । अपर आयुक्त ने लिखा है कि पुत्तु द्वारा दी गयी रसीदें लगान के रूपये पाने की है परंतु निष्कर्ष यह निकाला है कि पुत्तु ने पटट्ा दिया था यह तथ्य अमान्य किया जाता हैं आवेदक के अधिवक्ता का तर्क हे कि जब अकाट्य रूप से यह प्रमाणित कर दिया गया था कि भूमि स्वामी पुत्तु अनुबंध के अनुसार लगान लेता था उसकी रसीदें देता था पटटे् की प्रति भी पेश की गई है कब्जा होना अधीनस्थ न्यायालयों ने माना हे तब आवेदक की प्रार्थना को अस्वीकार किये जाने का कोई कारण नहीं था आवेदक को भूमि स्वामी के अधिकार उद्भूत हो गये थे अतः आवेदक का नामांतरण भूमि स्वामी के रूप मं किया जाना न्याय संगत है। अपने तको के संबंध में आवेदक के अधिवक्ता ने 1980 रेवेन्यू निर्णय 176, 1979 रेवेन्यु निर्णय 391, 1970 रेवेन्यु निर्णय 75 आदि न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये कहा कि आवेदक ने लगान की रसीदें उपकर की रसीदें 1979 से 1984 तक की खसरी प्रविष्टियां प्रस्तुत की हैं तथा मौखिक साक्ष्य से भी अपना पक्ष सिद्व किया है । अतः उनका कहना है कि निर्विवाद रूप से भूमि पर आवेदक के पिता एवं उनके बाद आवेदक का निरंतर आधिपत्य चला आ रीहा हे वे लगान देते रहे हैं पटट्ा दिया जाना भी उन्होने सिद्व किया हे अंत में उन्होंने तर्क दिया कि भूमि स्वामी के अधिकार विधि के

प्रभाव से स्वतः उद्भूत हो जाते हैं। उसके लिये किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं हें अतः आवेदक का नामांतरण भूमि स्वामी के रूप में किया जाना न्यायोचित है।

7– अनावेदक –1 की ओर से अधिवक्ता ने अपने तर्को में कहा कि पुत्तु भूमि स्वामी था लल्ला बाई एवं अनावेदकगण पुत्तू के उत्तराधिकारी है । आवेदक को अपना नामांतरणकराने काकोई अधिकार प्राप्त नहीं हुा हे इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों जो आदेश दिये वे सही है। अतः निगरानी निरस्त की जाये। शेष अनावेदकगणों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सचूना पत्र भेजे गये थे । परन्तु किसी के उपस्थित न होने के कारण उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

8– प्रतिउत्तर में आवेदक के अधिवक्ता ने कहा कि पूर्व भूमि स्वामी के भाई की पुत्री लल्लाबाई थी अनावेदकगण लल्ला बाई के पुत्र हे क्यों कि आवेदक को भूमि स्वामी के अधिकार प्राप्त हो चुके थे । अतः अनावेदक को नामांतरण हेतु कोई स्वत्व शेष नहीं रहते हैं ।

9– दोनों अधिवक्तागण के तर्को पर मनन किया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तहसीलदार के अभिलेख में लेखी साक्ष्य ख़सरा वर्ष 79–80 से 83–84 में आवेदक जगन्नाथ का नाम कब्जेदार के रूप में लिखा है । यद्यपि कब्जा मात्र लिखा होने से कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता परंतु उस कब्जे के स्वरूप ही पुष्टि लगान की रसीदों तथा साक्षीगण के कथनों से होती है साक्षगण ने कहा है कि आवेदक का आधिपत्य 20 वर्ष के पहले से चला आ रहा है । नायब तहसीलदार ने भी

अपने आदेश में आवेदक द्वारा ाूमि स्वामी को दी गयी संबंत 2006 एवं 2008 की रसीदो कोलगाान की रसीदें होना माना है तथा आवेदक का कब्जार होना ाी माना है परंतु नायब तहसीलदार ने यह निष्कर्ष निकाला है कि उक्त रसीदों से यह पुष्टि नहीं होती है कि भूमि स्वामी पुत्तु नेआवेदक के पिता को भूमि बिकी की थी या पटटे पर दी थी । मेरे मत में जब आवेदक का निरन्तर आधिपत्य होना प्रमाणित है। लगान की रसीदे प्रस्तुत की गयी है तथा खसरे में भी आवेदक के आधिपत्य की प्रविष्टि है तब उससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भूमि स्वामी पुत्तु ने अपनी भूमि पटटे पर दी थी। आवेदक यह कहकर नहीं आया था कि उसने अथवा उसके पिता ने पुत्तू से जमीन खरीदी थी।

9– अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में प्रकरण के मूल विवाद पर कोई निर्णय न देते हुये यह मानकर अपील निरस्त की थी कि संहिता की धारा 169 (2) दिनांक 2.10.1959 के पूर्व के कब्जे पर लागू नहीं होती है उसके लिये धारा 185 के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकरण में आवेदककाकब्जा 2.10.1959 के पूर्व से होना प्रमाणित है। अपर आयुक्त ने अपने विवादित आदेश के पद–5 में नायब तहसीलदार के आदेश की पुनरावति मात्र की है। जबकि उनके समक्ष अपील मेंसमस्त आवश्यक आधार लिये गये थे तथा विस्तार से लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये गये थे अपने लिखित तर्को में आवेदक ने प्रकरण के तथ्यों के साथ ही वरिष्ठ न्यायालयों के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की थी कि आवेदक को भूमि स्वामी के अधिकार उद्भूत हो चुके है

एवं उसका नामांतरण किया जाना चाहिये । इस कारण अपीलीय न्यायालयों केआदेश विधि सम्मत आदेश नहीं कहे जा सकते।

10– उपरोक्त पदो में की गयी विवेचना एवं दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः निगरानी का आवेदन स्वीकार किया जाता है आवेदक को भूमिस्वामी के अधिकार प्राप्त हो जाना माना जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुये निर्देशित किया जाता है कि आवेदक का नामांतरण भूमि स्वामी के रूप में किया जाये।

सदस्य